न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 53/10 **निर्णय दिनांकः— 16.05.2019**

1. दिवाये खॉ पुत्र मुराद खॉ जाति मुसलमान निवासी सम्मेवाला तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सवाई पुत्र बख्ता जाति बजीर निवासी हरसानी तहसील शिव जिला बाड़मेर हाल निवास शिवनगर तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19—07—2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दौलतसिंह तंवर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19—07—2003 जिसके द्वारा अपीलांट् को टीसी में आवंटित भूमि एकतरफा तौर पर रेस्पोडेन्ट को आवंटित कर दी गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वर्ष 1975 में ग्राम जोधासर के खसरा नम्बर 70 में 25 बीघा भूमि का टीसी आवंटन किया गया था तभी से वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त रकबा चकबन्दी में आने पर चक 5 डीएम के मुरब्बा नम्बर 106/2 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि के रूप में पैमूद हुई। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड होने के कारण शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई नोटिस दिये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जोधासर के खसरा नम्बर 70 तादादी 25 बीघा बारानी आवंटन अपीलांट को किया गया था। दौराने चकबन्दी उक्त भूमि चक 5 डीएम के मुरब्बा नम्बर 106/2 के किला नम्बर 1 ता 25 के रूप में पैमूद हुई। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हुए भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को विधि विरूद्व तरीके से किया गया है। जबकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट को किये गये आवंटन दिनांक को अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौका रिपोर्ट प्राप्त किये व बिना जॉच किये वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है।

चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित व आक्यूपाईड लैण्ड है ऐसी स्थिति में आराजी जैर किसी भी स्थिति में शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। प्रकरण

में जहॉ तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि आवंटन का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 4 बीएम के मुरब्बा नम्बर 169/57 की 25 बीघा भूमि के आवंटन को विनिमय के आधार पर मोहनगढ़/नाचना क्षेत्र में द्वितीय चरण में भूमि पाने हेतु सक्षम पाया गया था जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को मोहनगढ़/नाचना क्षेत्र में भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर किये बिना तहसील पूगल में अपीलांट का पूर्व में टीसी में आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जो स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मिंयाद के संबंध में बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया आदेश है। ऐसे एकतरफा आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को पूर्व में चक 2 बीएम के मुरब्बा नम्बर 169/57 की 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त भूमि 50 प्रतिशत से अधिक अनकमाण्ड हो जाने के कारण पत्रावली अन्यत्र कमाण्ड भूमि आावंटन के लिए भिजवाई गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम जॉच के उपरान्त वादग्रस्त भूमि विनिमय में आवंटित की गई है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवा दी गई है। इस तथ्य की ताकीद तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत करते हुए की गई है। उक्त जवाब में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि चक 5 डीएम के मुरब्बा नम्बर 106/2 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा भूमि सवाई सिंह पुत्र बख्ता वजीर निवासी हरसानी तहसील शिव जिला बाड़मेर को पुख्ता (विनिमय) पाक विस्थापित श्रेणी में आवंटित है। इसप्रकार आवंटन की समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

उन्होनें आगे बताया कि अपीलांट को वादग्रस्त भूमि बतौर टीसी आवंटित की गई थी। इसका तात्पर्य है कि अपीलांट को मात्र अस्थाई काश्त के लिए भूमि आवंटित की गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट के वादग्रस्त भूमि पर कोई अधिकार हासिल नहीं होते है। अपीलांट को आवंटित भूमि का समय—समय पर नवीनीकरण नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। अपीलांट द्वारा पूर्व में ग्राम जोधासर के खसरा नम्बर 70 में भूमि आवंटन होने का कथन किया गया तथा उक्त भूमि चकबन्दी होन पर चक 5 डीएम के मुरब्बा नम्बर 106/2 के किला नम्बर 1 ता 25 के रूप में पैमूद होने का कथन किया गया है। इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा मिलान क्षेत्रफल आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का वादग्रस्त भूमि से कोई लेना—देना नहीं है। लिहाजा अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—07—2003 के विरूद्व अपील दिनांक 15—11—2010 को प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में अपीलांट को अस्थाई आवंटन की कब्जाशुदा भमि के पुख्ता आवंटन न होने पर अपीलांट द्वारा सहायक आयुक्त उपनिवेशन के समक्ष खातेदारी धोषणा का दावा सन् 2006 में प्रस्तुत किया गया। दावे की सुनवाई के दौरान अपीलांट को जानकारी हुई कि उक्त भूमि अन्य को आवंटित हो चुकी है, तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश की अपील पेश की गई है। ऐसी स्थिति में जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त अपील करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः आवंटन आदेश की तारीख के सात् साल बाद का विलम्ब शमन किया जाता है।

परीक्षण न्यायालय के समक्ष धोषणात्मक वाद की सुनवाई के दौरान वादी/अपीलांट ने उपनिवेशन विभाग द्वारा तैयार पैचा खतौनी

ग्राम जोधासर के चक 5 डीएम तहसील पूगल के पुराने खसरा 70 नया मुरब्बा नम्बर 106/2 रकबा 25 बीघा के काश्तकार कॉलम में काश्तकार का नाम दिवाये खॉ पुत्र मुराद खॉ मुसलमान साकिन सम्मेवाला अस्थाई आवंटन के रूप में दर्ज है। उक्त पर्चा खतौनी दिनांक 25—03—1981 को पटवारी, निरीक्षक तथा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 106/2 की 25 बीघा भूमि दिवाये खॉ को टीसी आवंटित था। रकबा बरानी में पुराने खसरा नम्बर 70 से मुरब्बा नम्बर 106/2 बनना प्रमाणित है। आराजी काश्त के रजिस्टर के कॉलम नम्बर 205 में खसरा नम्बर 70 के 25 बीघापर दिवाये खॉ की काश्त उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के आदेश क्रमांक 3211 दिनांक 25—11—1980 की पालना में टीसी आवंटन तथा बाद में नवीनीकरण का उल्लेख है।

गिरदावरी संवत् 2054 से 2057 में उक्त मुरब्बा नम्बर 106/2 में दिवाये खॉ की गुंवार की काश्त दर्ज है। सन् 1997 से 2005 तक अतिक्रमी के रूप में दिवाये खॉ को नोटिस मिले है तथा नहर विभाग द्वारा पानी की बारी बांधी गई है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटन की तिथि से पूर्व मुरब्बा नम्बर 106/2 की भूमि सन् 1980 से अस्थाई आवंटी के रूप में दिवाये खॉ के कब्जे में थी। भूमिहीनों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया के तहत उक्त भूमि दिवाये खॉ को टीसी होल्डर के रूप में आवंटित की जानी थी, परन्तु उपनिवेशन अधिकारियों ने अपीलांट के दावे पर ध्यान नहीं दिया तथा भूमि आराजी राज दर्ज रही। उक्त रिकार्ड के आधार पर भूमि का पुख्ता आवंटन या नियमन दिवाये खॉ के पक्ष में किया जाना था, परन्तु उपनिवेशन अधिकारियों की लापरवाही से उक्त भूमि पाक विस्थापित सवाई को विनिमय में आवंटित कर दी। आवंटन से पूर्व भूमि पर कब्जे तथा उपयोग की स्थिति पर गौर नहीं किया गया।

आवंटन अधिकारी तथा उसके अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों की लापरवाही के कारण पाक विस्थापित सवाई को अधिवासित भूमि का पेपर अलोटमेंट किया जाकर उसे भ्रमित किया गया तथा गलत आवंटन होने के कारण बार—बार निरस्त किया गया। रेस्पोडेन्ट/आवंटी को आवंटन के 17 साल बाद भी कब्जा नहीं दिया जा सका। यह स्थिति

पाक विस्थापित सवाई के लिए बेहद पीड़ादायक है लेकिन पेपर आवंटन के कारण उसे अन्य आवंटन भूमि नहीं किया गया।

8. अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ द्वारा जारी अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 19—07—2003 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी पूगल को रिमाण्ड किया जाता है कि चक 5 डीएम के मुरब्बा नम्बर 106/2 की 25 बीघा भूमि के नियमन की अपीलांट की पात्रता की जॉच कर एक ताह के भीतर विधि सम्मत कार्यवा करें। साथ ही रेस्पोडेन्ट सवाई से अन्य भूमि का विकल्प प्राप्त कर पाक विस्थापित श्रेणी में आवंटन करें या प्रकरण मोहनगढ़/नाचना के समक्ष अधिकारियों को पात्रता के अनुसार आवंटन हेतु भिजवाया जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 16.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर